कार्यालय कलेक्टर (योजना) जिला गुना (म0प्र0)

क्र.   /सू0अधि0/जियोसां/2005/   गुना दिनांक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत गुना

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी

उपरोक्त विषय में कलेक्टर महो. द्वारा दिनांक 26.09.2005 की समयसीमा पत्रों की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय गुना की सूचना के अधिकार के संबंध में आवश्यक विभागीय जानकारी आपकी ओर एक हार्ड कापी/फ्लॉपी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–हार्डकापी/फ्लापी

(आर0 एस0 राठौर)
जिला योजना अधिकारी
जिला गुना (म0प्र0)

सूचना के अधिकार – 2005

जिला कार्यालय का नाम :–जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय गुना

1–(अ) प्रशासनिक –

गुना जिले में वर्तमान में विभाग द्वारा निम्न कार्य संचालित किये जा रहे है।

1.1 जिला योजना शाखा
1.2 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन
1.3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का संचालन
1.4 जनभागीदारी योजना का क्रियान्वयन
1.5 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य का संचालन
1.6 सांख्यिकी तंत्र से संबंधित कार्य
1.7 मुख्यमंत्री/मंत्री गणों के स्वेच्छानुदान योजना का संचालन
1.8 मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही
1.9 जनसमस्या निवारण शिविरों से संबंधित कार्यवाही

1–(ब) स्थापना संबंधी जानकारी –

क्र	संवर्ग (केडर) का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	अन्य विवरण
1	जिला योजना अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	1	1	–	
2	जिला सांख्यिकी अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	1	–	1	
3	जिला साख अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	1	–	1	
4	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	5	6	–	
5	खण्ड स्तर अन्वेषक	5	–	5	
6	संगणक	1	1	–	
7	शीघ्र लेखक (स्टेनो)	1	1	–	
8	लेखापाल (सहा.ग्रेड–2)	2	2	–	
9	सहायक ग्रेड–3	3	3	–	
10	वाहन चालक	1	1	–	
11	भृत्य	3	3	–	

2– कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण :–

क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	गृह जिला	वेतनमान	संपादित कार्य का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर. एस. राठौर	जिला योजना अधिकारी	रतलाम	10000–15000	कार्यालय प्रमुख
2	श्री सी0 के0 सिंघल	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	शिवपुरी	7500–12000	योजना
3	श्री एल. सी. अहिरवार	–''–	गुना	5500–9000	जीवनांक
4	श्री बी0 एल0 अहिरवार	–''–	–''–	5500–9000	डी0एस0एम0
5	श्री अमित तिर्की	–''–	भोपाल	5500–9000	डी0एस0एम0
6	श्रीमति राजेश शर्मा	–''–	गुना	5500–9000	डी0एस0एम0
7	श्री एस0 ए0 धर्माधिकारी	–''–	ग्वालियर	5500–9000	–''–मंत्री स्वेच्छानुदान
8	श्री ए0 के0 रघुवंशी	अन्वेषक	गुना	4500–7000	अशोकनगर में कार्यरत
9	श्री रघुवीर सिंह	संगणक	ललितपुर	3500–5200	सांसद मद
10	श्री एन0 एस0 जमौरिया	सहा. ग्रेड–2	भिण्ड	4500–7000	लेखा/स्था0
11	श्री पी. डी. माथुर	–''–	गुना	4500–7000	लेखा सांसद/ विधायक/ जनभागीदारी योजना
12	श्रीमति गंगा देवी चौहान	स्टेनोंग्राफर	गुना	4500–7000	स्टेना/विधायक मद
13	श्री एस0 एस0 श्रीवास्तव	सहा. ग्रेड–3	सागर	3500–5200	जावक शाखा
14	श्री तापस घोष राय	–''–	बेतूल	3050–4590	सहा. लेखा
15	श्री महेश कुमार सरवैया	सहा. ग्रेड–3	गुना	3500–5200	विधायक/मु.मं. सहा. कोष
16	श्री एम0 के0 सिंघल	–''–	भरतपुर	3050–4590	जनभागीदारी
17	श्रीमति शुभदा गुरूजी	–''–	गुना	3050–4590	आवक शाखा
18	श्रीमति राधा शर्मा	–''–	गुना	3050–4590	पी0जी0व्ही सेल
19	श्री कस्तूर चन्द्र	भृत्य	गुना	2550–3200	भत्य
20	श्री जयदेव बेगा	–''–	शहडोल	2550–3200	भत्य
21	श्री कल्याण प्रसाद	–''–	गुना	2610–3500	भत्य

3— कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया —

संबंधित शाखा के कर्मचारी द्वारा विषय से संबंधित नस्ती पत्र एवं सहपत्रों के साथ जिला योजना अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) को प्रस्तुत की जाती है। जिस पर कार्यालय प्रमुख/जिलाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है।

4— कार्यालय के द्वारा समयसीमा में कार्य निपटारा —

कार्य निपटारे के बारे में विभागीय तौर पर समयसीमा निर्धारित है। तदनुसार कार्य का निपटारा किया जाता है।

क्र	कार्य का नाम	प्रभारी /विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी से शिकायत की जाना	शिकायत निराकरण की समयसीमा
1	सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत सांसद/ विधायक से लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुशंसित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति	जिला योजना अधिकारी	45 दिन	कलेक्टर	15 दिन
2	एक माह से अधिक किन्तु एक वर्ष की अवधि के अंदर जन्म—मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के ऐसे प्रकरणों में घटना के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने की कार्यवाही। (आवेदक द्वारा समस्त दस्तावेजों के साथ अप्राप्यता प्रमाणपत्र एवं शपथपत्र प्रस्तुत कर पावती प्रस्तुत करने पर)	जिला योजना अधिकारी	7 दिन	मुख्य रजिस्ट्रार जन्म—मृत्यु	1 माह
3	(क) सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की नकल प्रदाय	जिला योजना अधिकारी	15 दिन	कलेक्टर/ विभागाध्यक्ष	15 दिन
	(ब) सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन की सुविधा	जिला योजना अधिकारी	15 दिन	कलेक्टर/ विभागाध्यक्ष	15 दिन

5— कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम एवं मेनुअल —

1 जिला योजना समिति अधिनियम 1995
2 जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969
3 म0 प्र0 जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999
4 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निर्देश पुस्तिका
5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की निर्देश पुस्तिका
6 म0 प्र0 जनभागीदारी योजना नियम — 2000

6— कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेख —

1 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत स्वीकृति आदेश एवं आय व्यय लेखा
2 विधानयभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत मद स्वीकृति आदेश एवं आय व्यय लेखा
3 जनभागीदारी योजनांतर्गत स्वीकृति आदेश एवं आय व्यय लेखा
4 जिला योजना समिति के कार्यवाही विवरण
5 जिला अधोसंरचना समिति के कार्यवाही विवरण
6 जनभागीदारी योजना से संबंधित अभिलेख

7— परामर्शदात्री समितियां —

विभाग का कार्यालय केवल जिला स्तर पर है। अतः विभागीय परामर्शदात्री समिति गठित नहीं है।

8— कार्यालय के अंतर्गत आने वाली परिषद एवं समितियां —

8.1 **जिला योजना समिति :—**

म0 प्र0 जिला योजना समिति निर्वाचन नियम 1995 में निहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया अनुसार जिला योजना समिति गुना हेतु दिनांक 01.07.2005 को सम्पन्न निर्वाचन मे ग्रामीण क्षेत्र से जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से 12 सदस्य एवं नगरपालिका समूह के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 3 सदस्य तथा नगर पंचायत समूह के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 1 सदस्य का निर्वाचन किया गया। राज्य शासन के आदेश क्र. एफ. 9—31/2005/23 /यो—2 दिनांक 26.07.2005 के द्वारा 2 अशासकीय सदस्यों को 2 वर्ष की कालावधि के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया। मान्0 प्रभारी मंत्री जी जिला योजना समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर पदेन सदस्य सचिव है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सांसद गुना—शिवपुरी, सांसद राजगढ, तथा जिले के मान्0 विधायक गुना, राघौगढ,चांचौडा एवं शाढौरा विशेष आमंत्रित सदस्य है। इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष , अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक विशेष आमंत्रित सदस्य है।जिला योजना समिति अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित करने का प्रावधान है। वर्तमान में गठित जिला योजना समिति की जानकारी निम्नानुसार है :—

1	मान्0 श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मंत्री म0प्र0शासन	अध्यक्ष
2	श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद गुना–शिवपुरी	विशेष आमंत्रित
3	श्री लक्ष्मणसिंह सांसद राजगढ	–''–
4	श्रीमती ममता मीणा अध्यक्ष जिला पंचायत गुना	–''–
5	श्री गोपीलाल जाटव विधायक शाढौरा	–''–
6	श्री दिग्विजय सिंह विधायक राघौगढ	–''–
7	श्री के0 एल0 अग्रवाल विधायक गुना	–''–
8	श्री शिवनारायण मीणा विधायक चांचौडा	–''–
9	श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	–''–
10	श्री औंकारलाल मीना ग्राम मगरोडा तह. गुना	सदस्य
11	श्रीमति कमलाबाई ग्राम व पोस्ट बरखेडाखुर्द	–''–
12	श्रीमति कस्तूरीबाई ग्राम खेरीखता पो0 सोनखरा	–''–
13	श्री जगदीश खटीक ग्राम मूडराखुर्द	–''–
14	श्रीमति जानकी बाई ग्राम म्याना	–''–
15	श्री पवनसिंह भील ग्राम टटूजखेडी पो0 मृगवास तह0 कुंभराज	–''–
16	श्रीमति भगवती देवी/बुन्देल सिंह ग्राम सगाबरखेडा तह0 आरोन	–''–
17	श्रीमति मुन्नीबाई/श्यामलाल ग्राम फजलपुर पो0 गावरी तह0 राघौगढ	–''–
18	श्री रक्षित सिंह गढा ग्राम गढा जिला गुना	–''–
19	श्रीमति रामकन्या परसौदा ग्राम बरखेडा गिर्द तह0 गुना	–''–
20	श्रीमति शीला शर्मा/देवेन्द्र सिंह ग्राम मक्सूदनगढ	–''–
21	श्री हरूआ पुत्र फुन्दीराम ग्राम कालल तलैया ग्राम जौहरी	–''–
22	श्री अरविंद गुप्ता/कालीचरण गुप्ता दलवी कालोनी गुना	–''–
23	श्री किरण सिंह/रघुनाथ सिंह कबीरपुरा वार्ड क्र. 1 राघौगढ	–''–
24	श्री राधेश्याम शर्मा/भूलचन्द शर्मा किला रोड राघौगढ	–''–
25	श्रीमति बृजमाला सोडानी/महेश चन्द्र सोडानी पार्षद वार्ड क्र. 9 चांचौडा	सदस्य
26	श्री कृष्ण वल्लभ गुप्ता निवासी कुंभराज	सदस्य (नामांकित)
27	श्री एकनाथ जायभाय निवासी राघौगढ	सदस्य (नामांकित)
28	श्री नीतेश व्यास कलेक्टर जिला गुना	सदस्य सचिव

8.2 उपसमितियों का गठन –

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 9(2) के अधीन जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मॉनीटर करने तथा स्वरोजगार सृजन एवं अ.जा./अ.ज.जा./पिछडा वर्ग/महिला बाल विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा एवं सुझाव देने के लिये निम्नलिखित 2 उपसमितियों का गठन किया गया है :–

1 जिला रोजगार निर्माण एवं उपलब्धता उपसमिति

2 अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग /कमजोर वर्ग एवं महिला एवं बाल विकास कल्याण उपसमिति

प्रत्येक उपसमिति में कलेक्टर के अतिरिक्त 5 से 11 सदस्य जिला योजना समिति के निर्वाचित सदस्यों मे से जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाते है। उनमें से किसी एक को पीठासीन अधिकारी नामांकित किया जाता है। जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी उपसमितियों के सचिव नामांकित किये जाते है। उपसमिति का पीठासीन अधिकारी उपसमिति के उतने सम्मेलन बुला सकता है जितने वह ठीक समझे तथापि उपसमिति का तीन मास में कम से कम एक सम्मेलन बुलाया जाना आवश्यक है।

9 एवं 10– कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम–पदनाम वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी कोषालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

11– कार्यालय के लिये वर्षवार मदवार बजट आबंटन तथा उपयोग की जानकारी कार्यालय एवं कोषालय में उपलब्ध है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत बजट वर्ष 2005–06

क्र	विधानसभा क्षेत्र	प्राप्त आबंटन (लाख रू. में)
1	विधानसभा क्षेत्र 29–गुना	60.00
2	विधानसभा क्षेत्र 30–चांचौडा	60.00
3	विधानसभा क्षेत्र 31–राघौगढ	60.00
4	विधानसभा क्षेत्र 32–शाढौरा	60.00
	योग समस्त विधानसभा क्षेत्र	240.00
1	जनभागीदारी योजना	100.00

12– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण –

12.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :–इस योजना के तहत मान्0 विधायक गण अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यावश्यक स्वरूप के विकास एवं निर्माण कार्य अनुशंसित करने का प्रावधान है।

12.2 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :– इस योजना के तहत मान्0 सांसदों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्रांतर्गत प्रति वर्ष 200.00 लाख रू. तक के विकास एवं निर्माण कार्य अनुशंसित करने का प्रावधान है।

12.3 जनभागीदारी योजना :–जन सहभागिता को बढावा देने के उद्देश्य से जनभागीदारी योजना लागू की गई। योजना के तहत स्थानीय जन समुदाय द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के कार्य हेतु जनसहयोग किया जाता है। शासन द्वारा सामान्य योजनांतर्गत 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत 75 प्रतिशत अंश्दान प्रदान किया जाता है।

12.4 जिला योजना तैयार करना–राज्य योजना मंडल द्वारा नियत योजना सीमा में जिला सेक्टर योजनाओं हेतु चिंहांकित विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की योजना निर्देशानुसार तैयार कर अंतिम रूप दिये जाने हेतु राज्य योजना मंडल के साथ बैठकों में जिलाध्यक्ष द्वारा चर्चा उपरांत राज्य योजना मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है। वर्ष 206–07 में जिले की जिला योजना राशि रू. 4597.81 लाख अनुमोदित की गई है।

12.5 जीवनांक :–जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण एवं जन्म–मृत्यु के नगरीय एवं ग्रामीण रजिस्ट्रारों द्वारा पंजीयन तथा प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य किया जाता है। उनसे संबंधित मासिक जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में संकलित कर उनका कोडीफिकेशन कार्य कर , मुख्य रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु म0 प्र0 को प्रेषित की जाती है तथा एक माह से अधिक एवं एक वर्ष तक के विलंबित पंजीयन के आवेदनों पर पंजीयन आदेश जिला योजना अधिकारी एवं जिला पंजीयक (जन्म–मृत्यु) द्वारा जारी किये जाते है।

12.6 प्रकाशन :–

1 जिला सांख्यिकी पुस्तिका
2 जिला विकास पुस्तिका
3 जिले के प्रमुख आंकडे
4 विकासखंड के प्रमुख आंकडे
5 बाजार समाचार पत्रिका
6 वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी

उक्त प्रकाशन एवं सांख्यिकी जानकारियों का प्रेषण संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म0प्र0 को किया जाता है।

13– स्वीकृत आदेश एवं आद्यतन जानकारी का प्रतिमाह संधारण :–सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना , जनभागीदारी योजना एवं अन्य सभी विकास योजनाओं की योजनांतर्गत स्वीकृत राशि एवं कार्यो एवं व्यय का वर्षवार विवरण कम्प्यूटर पर संधारित किया जाता है तथा मासिक बैठको में समीक्षा की जाती है।

14– कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची श्रेणी तथा प्रकृति –

1 सभी कार्यो की स्वीकृति कार्यालयीन नस्तियों में संधारित है।
2 आय–व्यय का लेखा शाखा में संधारित है।
3 स्थापना एवं बजट लेखा शाखा द्वारा संधारित है।
4 मासिक व्यय पत्रक प्रतिमाह शासन को प्रेषित किये जाते है।

15– आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधा –आम नागरिक को सूचनाका अधिकार एवं सिटीजन चार्अर से संबंधित चिंहांकित जानकारी हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

16– लोक सूचना अधिकारी –संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म0 प्र0 भोपाल के के ज्ञापन क्र. 7026/2005/आसांसं/17– डी0एस0एम0/ दिनांक 17.08.2005 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को गुना जिले के लिये लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया हैः–

1 श्री आर0 एस0 राठौर जिला योजना अधिकारी – लोक सूचना अधिकारी
2 श्री सी0 के0 सिंघल सहा. सांख्यिकी अधिकारी – सहा. लोक सूचना अधिकारी

(आर0 एस0 राठौर)
जिला योजना अधिकारी
जिला गुना (म. प्र.)